न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :– 02/177/2013

मंदिर मूर्ति ठाकुर जी बनाम राधाकिशन वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 22.07.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 110/0.21, 111/0.25 है. वाके ग्राम मुर्राटा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 19.09.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामील उपस्थित न्यायालय आये तथा जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब अप्रार्थी व प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020, 2046, जमाबन्दी सम्वत 2004 व 2009, नकल फोटोप्रति पंचनामा व शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी में होना साबित होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 110/0.21, 111/0.25 है. वाके ग्राम मुर्राटा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 22.07.2013 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

सत्यमेव जयते
Copy - Not Original